उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या-36/2023/2123/58-2023/1737210-2023

लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2023

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1137.60 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-758.40 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-1896.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन शासनादेश सं0-35/2023/1850/58-2023/1737210-2023, दिनांक 28.08.2023 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.08.2023 के प्रस्तर-1(6) एवं 1(15) में त्रुटिवश निम्नवत शर्तों का उल्लेख कर दिया गया है:-

1(6) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यता सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है।

1(15) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. अतएव शासनादेश सं0-35/2023/1850/58-2023/1737210-2023, दिनांक 28.08.2023 में उल्लिखित उक्त दोनों शर्तों को विलोपित करते हुए शेष शर्तों को यथावत पढ़ा जाय।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 28.08.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था व शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 36 /2023/2123/58-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(4) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in